

प्रेषक,

दीपक यादव,  
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
जनपद-बदायूँ।

सेवा में,

माननीय, महानिबन्धक  
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,  
प्रयागराज।

द्वारा,

माननीय,  
जनपद न्यायाधीश, बदायूँ।

विषय: उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)  
/2024 दिनांक 28 जून, 2024 सपठित शासनादेश संख्या 20/2024/स-3-76/दस/  
2024 /301 (1)/2024 दिनांक 11.07.2024 के प्रकाश में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित  
किये जाने के संबंध में विकल्प निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुतीकरण ।

आदरणीय महोदय,

विषय उपर्युक्त के संबंध में ससम्मान निवेदन करना है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 के वित्त (सामान्य) अनुभाग 3 लखनऊ दिनांक 28.03.2024 के माध्यम से उन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश की नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुकी थी के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था की गयी है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के वित्त (सामान्य) अनुभाग 3 द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2024 के शासनादेश संख्या 20/2024/स-3-276/दस/2024/301 (1)/2024 के माध्यम से विकल्प पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।

इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र दिनांक 9283/VIIIb-104/Admin D सेक्शन दिनांक 08.07.2024 एवं पत्र संख्या 9691/IV-F- 82(PENSION)/Admin (1) दिनांक 16 जुलाई 2024 को भी प्रकरण के संबंध में विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप पर मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद को हार्ड कापी में एवं संबंधित अधिकारी के ई सर्विस पर उपलब्ध ई पोर्टल पर साफ्ट कापी समय से प्रेषित किये जाने हेतु आदेश किया गया है।

अतः उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश उपरोक्त एवं मा० उच्च न्यायालय के पत्र उपरोक्त के प्रकाश में प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के विकल्प पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जो इस पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न करके प्रस्तुत किया जा रहा है।

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा में विज्ञप्ति तिथि 22 नवम्बर 2003 के आधार पर चयनित हुआ है। विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि दिनांक 16.05.2006 थी एवं योगदान की तिथि 14.06.2006 थी। ऐसी अवस्था में प्रार्थी नवीन शासनादेश उपरोक्त के प्रकाश में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है। अतः प्रार्थी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत कर रहा है। आपसे अनुरोध है कि मेरा पुरानी पेंशन योजना से संबंधित विकल्प पत्र मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं संबंधित पेंशन प्राधिकारी के समक्ष रखने की कृपा करें।

ससम्मान,

आपका आज्ञाकारी,

  
20.07.2024

(दीपक यादव)

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
जनपद-बदायूँ।

(ID NO-UP.6378)

Office of the District Judge  
BUDAUN  
No. 2866.../XV.JBudaun/Dated 22/07/24  
दिनांक-20.07.2024  
FORWARDED

District Judge  
Budaun  
22/7/24

संलग्नक:- निर्धारित प्रारूप में पुरानी पेंशन योजना  
से आच्छादित किये जाने हेतु विकल्प पत्र(मूल रूप में)।

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024  
दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक:

विकल्प पत्र

1. नाम - दीपक यादव
2. वर्तमान पदनाम - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ।
3. वेतनमान - J-5 (144840-194660)  
बेसिक वेतनमान .....1,67920/- ( माह जुलाई 2024)
4. वर्तमान विभाग का नाम - मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम - लोकसेवा आयोग उत्तर प्रदेश
6. विज्ञप्ति की तिथि - 22 नवम्बर 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि - 16.05.2006
8. योगदान की तिथि - 14.06.2006
9. जन्म तिथि - 06.07.1967
10. सेवानिवृत्ति की तिथि - 31.07.2027

मैं दीपक यादव पुत्र श्री अजय सिंह यादव शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) नई पेंशन योजना (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर-

नाम-दीपक यादव

पदनाम-अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम बदायूँ।  
(ID NO-UP.6378)

घोषणा पत्र

मैं दीपक यादव पदनाम-अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश बदायूँ यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-

नाम-दीपक यादव

पदनाम-अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम बदायूँ।  
(ID NO-UP.6378)

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री दीपक यादव..... पदनाम विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) नई पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

जनपद न्यायाधीश,  
बदायूँ